A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोंक)

बनाम

रम मुकद्दमा ...बशीर मो० वगैरा... अलमो० ...नम्बर 12 सन्..20

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.2.17 आज पत्रावली पेश हुयी। वादी अभिभाषक ने वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थना पत्र पर जवाब से बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील ने कोर्ट को यह विश्वास दिलाया है कि प्रतिपक्षीगण बिना किसी वैधानिक अधिकार के आराजी ख०नं० 124 रकबा 0.07 है० मु० चाह व ख०नं० 126 रकबा 0.09 है० बजंड वाके ग्राम याकुबपुरा से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व हिस्से की भूमि से किसी प्रकार मजामेमा व मदाखलत नही करेंगे या विवादित, विवादग्रस्त हुए सम्पूर्ण आराजी से किसी हिस्से से निर्माण कार्य नही करेंगे। प्रार्थी के वकील व प्रतिवादी के वकील कि बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन फरमाया गया। प्रतिपक्षीगण को तामैसला आराजी ख०नं० 124 रकबा 0.07 है० मु० चाह व ख०नं० 126 रकबा 0.09 है० बजंड वाके ग्राम याकुबपुरा तक मौका व रिकार्ड कि स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली कैमल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दफ्तर दाखिल किया जावे। मुल वाद के साथ पत्रावली सलंग्न है।	

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा